रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082023-247748 CG-DL-E-01082023-247748

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3275] No. 3275] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2023/श्रावण 9, 1945 NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2023/SHRAVANA 9, 1945

# मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2023

का.आ. 3425(अ)—केंद्रीय सरकार, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उप-धारा (2) के साथ पठित भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (पशुचिकित्सा महाविद्यालयों और पशुचिकित्सा अर्हताओं की मान्यता और मान्यता वापस लेने कि प्रक्रिया) नियम, 2017 के नियम 10 के उप-नियम (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा परिषद परिषद से परामर्श करने के पश्चात, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में, उपाधियां उप-शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों रखी जाएगीं:-

विश्वविद्यालय या पशुचिकित्सा	मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता	रजिस्ट्रीकरण का संक्षिप्त रूप
संस्था		
1	2	3
"3. (i) पशुचिकित्सा विज्ञान,	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन	बी.वी.एससी. और ए.एच.
गुवाहटी	में स्नातक पशुचिकित्सा विज्ञान और	बी.वी.एससी. और ए.एच. (यह
(ii) लखीमपुर पशुचिकित्सा	पशुपालन में स्नातक	अर्हता पशुचिकित्सा अर्हता केवल
विज्ञानमहाविद्यालय, असम ।		तब मानी जाएगी, जब यह, 24

4933 GI/2023 (1)

महाविद्यालय के संबंध में असम	जनवरी, 2024 या उसके पश्चात प्रदान की गई हो ।)
कृषि विश्वविद्यालय ।	

[फा.सं. के. 12052-6/14/2017-एल एच]

सरिता चौहान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची को भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्याक का.आ. 2873 (अ), तारीख 3 जुलाई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

#### MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2023

**S.O.** 3425(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), read with sub-rule (5) of rule 10 of the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017, the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendment in the First Schedule to the said Act, namely:—

In the said Act, in the First Schedule, under sub-heading Degrees, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

University or Veterinary Institution	Recognised Veterinary Qualification	Abbreviation for Registration
1	2	3
"3. Assam Agricultural University		
in respect of College of:-		
(i) Veterinary Science, Guwahati	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H.
(ii) Lakhimpur College of	Bachelor of Veterinary Science and	B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Science, Assam.	Animal Husbandry	(This qualification shall be a
		recognised veterinary qualification only when granted
		on or after the 24 <sup>th</sup> January,
		2024.)

[F.No. K-12052-6/14/2017-LH]

SARITA CHAUHAN, Jt. Secy.

**Note**: The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was lastly amended by notification published in the Gazette of India Extraordinary vide number S.O. 2873 (E) dated 3<sup>rd</sup> July 2023.